

बिहार सरकार,  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश


सं०सं०-11 / टी०बी०(विधि)-99 / 2010(पार्ट)-2०7.....(11) / पटना, दिनांक- 22/ 02/ 2019

अवमाननावाद संख्या-1711/2018 अरविन्द प्रसाद एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक-31.08.2018 को पारित न्यायादेश (सिविल रिव्यू संख्या-133/2003 सुदर्शन प्रसाद सिंह एवं अन्य बनाम् बिहार राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक-10.09.2014 को पारित न्यायादेश से उद्भूत) के आलोक में स्वास्थ्य विभाग के विज्ञापन संख्या-01./97 के अन्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा अनुशासित छुटे हुए कतिपय बी०सी०जी० प्रावैधिक पद के उम्मीदवार यथा- श्री शशि कुमार वर्मा, एवं श्री कौशलेन्द्र प्रसाद, की नियुक्ति हेतु मूल प्रमाण पत्रों/कागजात का सत्यापन कार्यक्रम दिनांक-25.02.2019 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में निर्धारित किया गया है।

(2) बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा उपरोक्त अनुशासित अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए वे निम्नांकित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा उनकी छायाप्रति की दो-दो स्वअभिप्रमाणित (Self Attested) प्रति अपने साथ अनिवार्य रूप से निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित हो :-

1. सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की मूल प्रतियाँ।
2. आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र की मूल प्रतियाँ।
3. बिहार राज्य सरकार की नौकरियों के निमित्त जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रिमेलेयर रहित प्रमाण पत्र (पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु)
4. अगर अभ्यर्थी सरकारी कर्मचारी हों तो नियोक्ता (Employer) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)
5. बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र (Admit Card)।
6. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र।
7. स्वअभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज का 2 फोटो।
8. प्रथम श्रेणी कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ पत्र कि समर्पित सभी प्रमाण पत्र सही है तथा उनके विरुद्ध थाना में अथवा न्यायालय में कोई केस दर्ज नहीं है एवं उनका आचरण प्रतिकूल नहीं है।
9. अनुभव प्रमाण-पत्र/प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति एवं अन्य अभिलेख जो आपके द्वारा आयोग को समर्पित किया गया है।
10. प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।

नोट:- सत्यापन हेतु निर्धारित उक्त तिथि एवं समय पर उपस्थित नहीं होने वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति हेतु आगे कोई अवसर नहीं दिया जायेगा।

  
(डा० अरिंदी० रजन)  
निदेशक प्रमुख, (रोग नियंत्रण)  
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।


ज्ञापांक:-11/टी0बी0(विधि)-99/2010 -2०7.....(11) /पटना, दिनांक- 22/02/2019

प्रतिलिपि:- श्री शशि कुमार वर्मा, वार्ड नं0-08, ओमनगर, पो0+था0+जिला-अररिया, पिन नं0-854311 को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- श्री कौशलेन्द्र प्रसाद, ग्रा0-योगिया, था0-चण्डी, जिला-नालन्दा, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को स्वास्थ्य विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

  
22/2/19  
निदेशक प्रमुख, (रोग नियंत्रण)  
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।